389

पत्र संख्या-11/वि1-विविध-51/2007का0 5671 /
बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
--

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप-सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 25 नवम्बर, 2009

विषय:- "चमार" जाति को महादलित विकास मिशन के तहत देय सुविधायें/आर्थिक पैकेज आदि उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि राज्य महादलित आयोग की अनुशंसा के आधार पर संकल्प संख्या-5613, दिनांक 18.11.2009 द्वारा "चमार" जाति को महादलित श्रेणी में सम्मिलित किया गया है (छाया प्रति संलग्न) ।

विदित हो कि महादलित के रूप में पूर्व से चिन्हित 20 (बीस) अनुसूचित जातियों को महादलित विकास मिशन के तहत देय सुविधायें/आर्थिक पैकेज आदि उपलब्ध कराने का अनुरोध विभागीय पत्रांक-3267, दिनांक 3.6.2008 द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि महादलित श्रेणी में सम्मिलित होने के क्रम में "चमार" अनुसूचित जाति को महादलित विकास मिशन के तहत देय सुविधायें/आर्थिक पैकेज आदि उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

अनु0-यथावत ।

सरकार के उप सचिव ।

प्र0/

1388

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :– राज्य महादलित आयोग के तृतीय प्रतिवेदन के अनुशंसा के आलोक में 'चमार' अनुसूचित जाति को विकास के लिए महादलित श्रेणी में सम्मिलित करने के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा "राज्य महादलित आयोग" के प्रथमएवं द्वितीय अंतरिम प्रतिवेदन के अनुशंसाओं के आलोक में अनुसूचित जातियों में से 20 जातियों यथा–बांतर, बाउरी, भोगता, चौपाल, दबगर, डोम या धनगद, घासी, हलालखोर, हाड़ी (मेहतर या भंगी सहित), कंजर, कुरारियार, लालबेगी, मुसहर, नट, पान या स्वासी, रजवार, भुइयाँ, तूरी, धोबी एवं पासी को विकास के लिए महादलित श्रेणी में शामिल किया गया है ।

राज्य महादलित आयोग ने अपने तृतीय प्रतिवेदन में 'चमार' जाति को महादलित जातियों के अंतर्गत शामिल करने की अनुशंसा की है । आयोग ने अपनी अनुशंसा चमार जाति की सामाजिक, शैक्षणिक एवम् आर्थिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन एवं आकलन कर किया है । अध्ययन के दौरान आयोग ने क्षेत्र भ्रमण में यह पाया है कि अनेक महादलित जातियाँ भी इनसे छुआ–छूत का भेदभाव करती हैं । शिक्षा के स्तर भी अनेक महादलित जातियों से कम हैं । ऐसी स्थिति में महादलित आयोग की संस्तुति को स्वीकार किए जाने का पर्याप्त आधार है ।

राज्य महादलित आयोग द्वारा वर्ष 2009–2010 में प्रस्तुत तृतीय प्रतिवेदन में अनुशंसा की गयी है कि चमार जाति को महादलित श्रेणी में रखा जाय और महादलित श्रेणी में मिलने वाली विशेष सुविधाएँ भी दी जायँ ।

राज्य महादलित आयोग के उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि 'चमार' अनुसूचित जाति को महादलित श्रेणी में शामिल किया जाय और महादलित श्रेणी में मिलने वाली विशेष सुविधाएँ दी जाएँ ।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजते हुए 500 (पाँच सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जाएँ ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18/11/08

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

D:\backup\Dhar. Personnal\Sec- II\Sanlekh Maha dalit.doc

(10) ~~क्रमशः~~

ज्ञापांक–11 / वि0–1–विविध–51 / 2007का 5613 / पटना–15, दिनांक 18–11–2009

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ मुद्रित कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

ह0/- 18/11/09

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–11 / वि0–1–विविध–51 / 2007का 5613 / पटना–15, दिनांक 18.11– 2009

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / सचिव, कर्मचारी चयन आयोग / सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग / सचिव, राज्य महादलित आयोग / सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग / उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय / उप सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना / सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / कुलपति, सभी विश्वविद्यालयों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग / विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों / स्थानीय निकायों / निगमों / लोक सेवा के उपक्रमों / पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें ।

ह0/- 18/11/09

सरकार के उप सचिव ।

D:\backup\Dhar. Personnal\Sec- 11\Sanlekh Maha dalit.doc